

an>

Title: Introduction of the Information Technology (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of Section 66A).

श्री जगदनिका पाल (डुमियांज़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरास्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000."

*The motion was adopted.*

श्री जगदनिका पाल: महोदय, मैं विधेयक पुरास्थापित करता हूँ।